छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-ई-01/2021

दिनांक : जनवरी 01, 2021

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर(उ०प्र०), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपित का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगें जिन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR (U.P.)

Advt. No. E- 01 /2021

Dated: January 01, 2021

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application **Online** only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 28 January, 2021.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

OSD TO THE GOVERNOR
Uttar Pradesh